जमानत आवेदन क्रमाँक-253/2026

पंजीयन क्रमांक 310/2026

CNR NO.CGKY010006102026

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला कोरिया, बैकुंठपुर छ.ग. द्वारा जमानत आवेदन क्रमाँक 308/2026, विनोद कुमार वैद्य विरूद्ध छ.ग. राज्य, में पारित आदेश दिनाँक 12.08.2026 की प्रतिलिपि।

विनोद कुमार वैद्य, आ. स्व० इंद्रचंद वैद्य,

उम्र 51 वर्ष, निवासी मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 13 बैकुण्ठपुर,

थाना व तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)

.... आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

छ.ग. शासन द्वारा थाना प्रभारी बैकुण्ठपुर,

जिला कोरिया (छ.ग.)

.......अनावेदक/अभियोजन

12/08/2026 आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री जे०एन० यादव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री महेश कुमार शर्मा, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण सूचनाकर्ता की उपस्थिति एवं जमानत आवेदन पर तर्क

जमानत आवेदन क्रमाँक-253/2026
पंजीयन क्रमांक 310/2026
CNR NO.CGKY010006102026

हेतु नियत है।

आहत/सूचनाकर्ता शिवनाथ पैंकरा व्यक्तिशः उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का सार एवं तर्क संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना बैकुण्ठपुर के अपराध क्रमांक 214/2026 अंतर्गत धारा 296, 107, 308(2), 309(4) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अधिनियम के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 11.07.2026 को गिरफ्तार किया गया है एवं आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.07.2026 से जिला जेल बैकुंठपुर में निरूद्ध है। आवेदक पूर्णतः निर्दोष हैं। आवेदक/अभियुक्त का उक्त अपराध से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त आपराधिक छवि का व्यक्ति नहीं है एवं आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित उक्त अपराध मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण के विचारण एवं निराकरण में विलम्ब होने की संभावना है। आवेदक/अभियुक्त मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 13 बैकुण्ठपुर,थाना व तहसील बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) का स्थाई निवासी है, जहां उसकी चल व अचल/पैतृक संपत्ति स्थित है, जिस कारण उसके अन्यत्र पलायन की संभावना नहीं है। आवेदक /अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन करने को तैयार हैं। अतः उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत की

जमानत आवेदन क्रमाँक-253/2026
पंजीयन क्रमांक 310/2026
CNR NO.CGKY010006102026

सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन पत्र की **कंडिका–07** अनुसार अभियुक्त का **प्रथम जमानत आवेदन** पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र किसी समकक्ष न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में ना तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लंबित है। तत्संबंध में आवेदक/अभियुक्त द्वारा भतीजे दिव्य वैद्य द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/सूचनाकर्ता शिवनाथ पैंकरा द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर आपत्ति होना व्यक्त किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक /अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण में 03 अभियुक्त फरार हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार किया जावे।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन एवं उभय पक्ष के तर्क के संदर्भ में केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी शिवनाथ पैंकरा द्वारा दिनांक 09.07.2026 को थाना बैकुण्ठपुर में इस आशय की लिखित शिकायत दी गयी कि दिनांक 07.07.2026 को शाम लगभग 04.00–05.00 बजे के मध्य उसकी पुत्री/मृतक, उम्र 17 वर्ष अपनी छोटी बहन के साथ आई०सी० मार्ट बैकुण्ठपुर में कुरकुरे व अन्य सामान लेने के लिए गई थी, उसी दौरान आई०सी० मार्ट

जमानत आवेदन क्रमाँक-253/2026
पंजीयन क्रमांक 310/2026
CNR NO.CGKY010006102026

संचालक आवेदक/अभियुक्त विनोद बैद्य एवं सहअभियुक्त दीपक बैद्य व जगत वैद्य द्वारा मृतक एवं उसकी छोटी बहन पर चोरी का आरोप लगाया गया एवं दुकान के ऊपरी भाग में ले जाकर अलग–अलग स्थान पर पूछताछ कर एवं डरा–धमका कर दबाव बनाते हुए मृतक से सामानों की सूची बनवाकर एवं "मेरे द्वारा चोरी की गई है" को लिखवाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराये गये एवं मृतक से 50 हजार रूपये की मांग की गई एवं मृतक की स्कूटी एवं चाबी को छीन कर अपने कब्जे में रख लिया गया एवं पैसे देने पर ही उक्त वाहन लौटाने की बात कही गई एवं यह भी कहा गया कि आदिवासी लोग कभी नहीं सुधर सकते हो एवं इतनी छोटी उम्र में चोरी करते हो, तुम लोगों को मर जाना चाहिए। तत्पश्चात मृतक की माता के मुंहबोले भाई/उपनिरीक्षक बैकुण्ठपुर अलंगो दास द्वारा आई०सी० मार्ट के संचालक अभियुक्त विनोद बैद्य से संपर्क कर 20 हजार रूपये दिये गये, किंतु संचालकगण द्वारा स्कूटी को गोदाम में रखे होना एवं स्टाफ नहीं होने का बहाना कर स्कूटी वापस नहीं की गई एवं दिनांक 08.07.2026 को मृतक के परिजन द्वारा आई०सी० मार्ट के संचालकगण से तीन बार संपर्क किये जाने उपरांत भी स्कूटी नहीं दी गई एवं स्कूटी के एवज में 50 हजार रूपये की मांग की गई। आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण द्वारा मृतक के परिवार से उक्त रकम की मांग कर इतना डरा–धमका दिया गया कि मृतक द्वारा उक्त घटना की जानकारी अपनी मां जो कि रिश्तेदारी में कहीं बाहर गई थी एवं उक्त घटना की जानकारी मिलने पश्चात घर वापस आ रही थी को मिलने एवं आई०सी० मार्ट दुकान संचालकों के द्वारा प्रताड़ित होने से क्षुब्ध होकर एवं बदनामी के डर से दिनांक 08.07.2026 को दोपहर करीब 1.30 बजे अपने घर के किचन में फांसी

जमानत आवेदन क्रमाँक-253/2026
पंजीयन क्रमांक 310/2026
CNR NO.CGKY010006102026

लगाकर आत्महत्या कर ली गई।

केस डायरी के तथ्यों के आधार पर यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अनुसंधान जारी है एवं शेष अभियुक्तगण फरार हैं। मौजूदा घटना गंभीर प्रकृति की है एवं इसके अतिरिक्त आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का प्रार्थी द्वारा विरोध किया गया है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं प्रकरण के तथ्य तथा अपराध की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त **विनोद कुमार वैद्य** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाता है।

इस आदेश की प्रति को केस डायरी में संलग्न कर थाना बैकुण्ठपुर प्रेषित किया जावे एवं पावती ली जावे। इस आदेश से आवेदक/अभियुक्त को अवगत कराये जाने हेतु एक प्रति को जेल अधीक्षक बैकुण्ठपुर को प्रेषित किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख को नियत समयावधि में न्यायिक अभिलेखागार, बैकुण्ठपुर में प्रेषित किया जावे।

सही/–
(आशीष पाठक)
विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
जिला–कोरिया, बैकुंठपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपिः–
1. उक्त आदेश से आवेदक/ अभियुक्त को अवगत कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक, जिला जेल बैकुंठपुर की ओर प्रेषित।
2.थाना अजाक बैकुण्ठपुर की ओर मय केस डायरी सूचनार्थ प्रेषित।

जमानत आवेदन क्रमाँक-253/2026
पंजीयन क्रमांक 310/2026
CNR NO.CGKY010006102026

सही/–
(आशीष पाठक)
विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
जिला–कोरिया, बैकुंठपुर (छ.ग.)